

This Agreement, made the day of Between The Executive Engineer R.W.D Work Division, Dumraon of the one Part and HEMANT KUMAR SINGH, Village- Shivpuri PO+PS - Buxar Dist- Buxar (Bihar) Pin.- 802101 Whereas the Employer is desirous that the contractor execute (1) SAMHAR ROAD TO NENUA (2) SAFAKHANA ROAD TO MAHRAURA KHIRAVLI ROAD SE MAHRAURA TAK Under MR (3054) The Employer has accepted the Bid by the contractor for the execution and completion if such Works and the remedying of any defects therein at a Contract Price of Rs. 2,18,46,590=00 (Two Crore Eighteen Lakh Forty Six Thousand Five Hundred Ninety) only

AGREEMENT

AR 543333
 11/07/2019
 11/07/2019



839 814 8011 4110 - 1844 4110 - 6941
 1007X12100
 1007X12100

SL No.	Package Number	Road Name	Length (km)
1.	MR-N/23-24 DUMRAON/02	SAMHAR ROAD TO NENUA	2.700
2.		SAFAKHANA ROAD TO MAHRAURA KHIRAVLI ROAD SE MAHRAURA TAK	1.700

Executive Engineer
 R.W.D. (M/P)
 11/07/2019

Hemant Singh

15/11/2021

आपक:- 2162
प्रतिनिधि-अधीनस्थ अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा को सूचनाई एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि आप अपने स्तर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा को सूचनाई एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।
विभागीय पत्रांक 6452/पटना दिनांक 13.12.19 का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तदनुसार एकरारनामा की प्रक्रिया भी जल्द से जल्द हो ये सुनिश्चित करें।
॥ ३०/०६/२०२३ ॥
मुख्य अभियंता-1
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।
पटना, दिनांक:- 30/06/2023

12. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता आहरित हो लेंगे कि संबंधित संवेदक का नाम बिहार सूची/काली सूची में सम्मिलित नहीं है।
13. संकलन संवेदक के साथ स्थितिस्थिति एकरारनामा विले अतिरिक्त के तहत 21 दिनों के अन्दर कार्य प्रारम्भ करवाया जाय। एकरारनामा करने के लिए संवेदक को एक निश्चित समय सीमा दी जाय और उस समय के अन्दर सभी कामकाजों के साथ उपस्थित नहीं होने पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करवाया जाय जिससे कि उचित कार्रवाई की जा सके।
14. इस कार्य का ब्युथ शीट 3054 (बिहार ग्रामीण पथ अनुसंधान नीति-2018) से विकसित होगा। कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाय।
16. एकरारनामा करने से पूर्व संबंधित अधीनस्थ अभियंता से परिमाण विषय के मद, मात्रा एवं दर की जाँच पुनः करा ले एवं खर्च भी आहरित हो ले।
17. एकरारनामा करते समय यह प्रावधान किया जाय कि संवेदक उचितपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति के लिए पूर्णतः दायीं माने जायेंगे।
18. यदि संकलन निवेदादाला विभाग में निवेदित नहीं है तो एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विवेचित निवेदन कारनामा आवश्यक होगा।
19. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है एवं किसी अन्य एजेंसी के द्वारा इसका कार्य नहीं करवाया जा रहा है। इस कार्य पर होने वाले व्यय को विलीय एवं तकनीकी स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत ही रखा जाय। एकरारनामा करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि संवेदक के पास पूर्व में कोई कार्य लक्षित नहीं है।
20. निवेदा में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना यथाशीघ्र मुख्यालय को भेजी जाय एवं निर्देश प्राप्त होने तक निवेदा पर अग्रतर कार्रवाई स्थगित रखा जाय।
22. सभी निवेदा कामकाज एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल कामकाज अग्रतर कार्रवाई हेतु वापस लौटायी जा रही है।
23. कार्यपालक अभियंता एकरारनामा के पूर्व संवेदक द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की शुद्धता की जाँच कर लेंगे। किसी प्रकार कि भिन्नता होने पर एकरारनामा नहीं करेंगे तथा अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे। साथ ही साथ पत्र-संचयन की उपलब्धता के संबंध में भी आहरित हो लेंगे।
24. विभागीय पत्रांक 14/अधोप-03-21/2021-489 अर्जु पटना दिनांक 28.01.2021 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

अर्जु:- यथावत।
कृपया पत्र प्रगति की सूचना दें।

करा दें।
अभिप्रेत प्रति अधीनस्थ अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा अभिलेख हेतु उपलब्ध कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा अभिलेख हेतु उपलब्ध करा दें।

4215 1st Street

अज्ञान विनिमित्तं काल आसन्नः सन्तु ।

1. कायदेश निर्गत करने से पूर्व आप स्वयं अध्यापन कर सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन अधोदस्तावेजों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. निवेदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो शोध में पूर्वाधार नहीं होगा।
3. संवेदक के द्वारा एकरानामा के लिए जमा की गयी राशि एवं निवेदा के साथ जमा किये गये राशि से संबंधित एनएससी/किमान विकास फंड/बैंक गारंटी आदि का सत्यापन संबंधित संकेत/बैंक से करतार प्रमोडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जाएगा।
4. एकरानामा के पूर्व निवेदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वीरित कानजालों की अवतन स्वयं एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा।
5. एकरानामा के समय निवेदाकार से भासिक कार्य योजना लिखित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा।
6. कार्य में व्यवहार सामग्री का हर प्रावकलन में स्वीकृत लेख के आधार पर दिया गया है। कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पायी जाती है, तो उसके साथ ही दूर में कमी कर दी जायेगी।
7. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्राविक स्वीकृति तथा निवेदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्तें एकरानामा का भाग होंगी, जिसे निवेदा शर्तों में जोड़कर संवेदक के साथ एकरानामा किया जायेगा।
8. एकरानामा के समय प्रत्येक मद के भाग की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अधिकारी स्वयं कर लेंगे।
9. कार्यपालक के पूर्व कार्यपालक अधिकारी स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति, सरकारी भूमि की उपलब्धता एवं प्रावकलन में किये गये उपबन्ध से पूरी तरह आवस्त हो लेंगे एवं प्राविक स्वीकृति के अनुसार प्रत्येक में किये गये निवेदा का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. एकरानामा के समय संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगा।
11. अधोदस्तावेज अभिलेख एवं कार्यपालक अधिकारी विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विविधियों के अनुसार होगा।

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित किया जाता है कि श्रीमती कायं विभाग, कायं प्रमंडल, दुमराव के अखीन सीट 3054 (विहार श्रीमती पद्म अनुसूचत सीट-2018) योजनागत पैकेज 40-MR-N/23-24 Dumraon/02 (टे-अर आईडी-124825) का पत्र मर्यादा एवं पॉवर वॉरंट रजिस्ट्रार कायं आपक एवं अखीन अधीन अधीन, श्रीमती कायं विभाग, कायं अखीन, आर का अनुसूचत एवं लॉटरी में सफल निविदाकार Hemant Kumar Singh (Bid ID-542911) को उनका द्वारा उद्धृत एवं परिपूर्ण विवर को दर/राशि से 10.00 (दस दशमलव रूप्य रूप्य) प्रतिशत कम पर अर्थात 2,18,46,590.00 (दो करोड़ आठ लाख विपलीस हजार पाँच रूप्य रूप्य) कम पर आवंटित किया जाता है।

महाराष्ट्र

22.06.2023

[illegible]

काल मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति ।

لکھنؤ میں

पञ्चमः काव्यप्रकाशः

[illegible]

1-10/11/1918

பாடகர்ப்பாடி 03

ChhK

4410-1/10-01-210/2023 2162

नियम-१ का अर्थ है - प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करते समय दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए।

पञ्चा. दिनांक:- 30/06/2023